रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/98 REGISTERED NO. D.L.—33002/98

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 1999/माघ 30, 1920 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 43
No. 30] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 1999/MAGHA 30, 1920 [N.C.T.D. No. 43

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-3 विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 फरवरी, 1999

सं. फा. 26/5/97-गृह-3/भ.नि./259.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एच.आई.एम. (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अग्नि शमन सेवा में फायर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के सम्बन्ध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अग्नि शमन सेवा विभाग में फायर ऑपरेटर के "ग" वर्गीय पद के भर्ती-नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु-सीमा	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राहय है
1	2	3	4	5	6	7
फायर ऑपरेटर	1013 इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	वर्ग "ग" संवर्ग-बाह्य अलिपिकीय	रु. 3200-85-4900 जमा 600 रु. विशेष भत्ता, 150 रु. जोखिम वेतन (मासिक), 30 रु. धुलाई भत्ता प्रतिमाह	गुणों के आधार पर चयन	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा में छूट) **टिप्पणी :—** रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भेजने की अंतिम तिथि को आयु-सीमा के निर्धारण का आधार माना जायेगा।	नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले स्थायी पदों पर भी भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति–सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
8	9	10	11
अनिवार्य :— 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से मैट्रिक पास या समकक्ष 2. भारी वाहनों को चलाने के लिए वैध लाइसेन्स 3. उम्मीदवार को मुख्य अग्नि-शमन अधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक क्षमता परीक्षा, वाहन-चालन परीक्षा और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। न्यूतम लम्बाई—165 से.मी. (पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए 5 से.मी. की छूट) न्यूतम वज़न—50 कि. ग्रा. छाती :—(बिना फुलाए 81 से.मी. फुलाव सहित 86.5 से.मी.) दृष्टि :—6/6 अयोग्यताएं :— 1. चश्मा पहनना/भैंगापन/वर्ण अन्धता 2. चपटा पैर 3. घुटनों का आपस में सटना 4. शरीर के किसी अंग में टेढ़ापन/अतिरिक्त अंग होना वांछनीय :— 1. व्यवसाय में तकनीकी योग्यता 2. तैराकी/गोताखोरी 3. बैंड बजाने का अनुभव नोट :— पद पर नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा निर्धारित 6 माह का सेवापूर्व प्रशिक्षण पूरा करना होगा तथा निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा यदि प्रशिक्षण के दौरान किसी उम्मीदवार का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो उसका प्रशिक्षण वहीं समाप्त कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान केवल पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण-भत्ता ही दिया जायेगा।	लागू नहीं	दो वर्ष	केवल सीधी भर्ती द्वारा

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वह ग्रेड (श्रेणी) जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण हो	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
12	13	14
लागू नहीं	"ग" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति	इन नियमों में परिवर्तन या अन्य कोई छूट करते समय सं.लो. सेवा आयोग का परामर्श जरूरी नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

नरेन्द्र नाथ महरोत्रा, उप सचिव

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th February, 1999

No. F. 26/5/97/H-III/R./R./259:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him (i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules in the Schedule hereto annexed, regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Fire Operator in Delhi Fire Service, Government of National Capital Territory of Delhi.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Fire Operator in Delhi Fire Service, Govt. of N.C.T. of Delhi.

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection-cum-Seniority or Selection by Merit or Non-Selection	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1992
1	2	3	4	5	6	7
Fire Operator	1013* (One Thousand Thirteen). * Subject to variation dependent on work load.	Group 'C' Ex-Cader, Non-Ministerial.	Rs. 3200-85-4900. Plus Spl. Allowances Rs. 600, Risk Pay Rs. 150 p.m. Washing allowance Rs. 30 p.m.	Selection By Merit.	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Govt. servants as per the orders/ instructions issued by the Govt. of India). Note :— The crucial date for determining the age limit shall be the last date fixed for sending names by the Employment Exchange.	No

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottees	Period of probation, if any
8	9	10
ESSENTIAL :— (1) Matric pass from a recognised Institute/Board or equivalent. (2) Should possess valid licence for driving heavy duty vehicles. (3) Should qualify physical endurance test, driving test and written test as prescribed by the Chief Fire Officer. **Physical Standard :—** Min. Height : 165 cms. (relaxable of 5cms for hilly area people). Min. Weight : 50 kgs. Chest (Normal) : 81 cms. Chest (Expanded) : 86.5 cms. Eye sight : 6/6 **Disqualification :—** (1) Wearing glasses/squaint eyes/colour blindness. (2) Flat feet. (3) Knock knee (4) Deformity of any limb/extra limb. **Desirable :—** (1) Technical qualification in profession. (2) Swimming/diving. (3) Experience in playing band. **Note :—** Candidate selected for appointment to the post shall have to undergo a pre-service training of 6 months as prescribed by Chief Fire Officer and shall have to pass the prescribed test. The training shall be terminated if the work and conduct of the candidate is not found satisfactory. During training a fixed amount of stipend shall only be paid.	N.A.	2 (Two) years.

Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts be filled by various methods	In case of Recruitment by Promotion/Deputation/ Absorption grades from which Promotion/Deputation/ Absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By Direct recruitment	N.A.	Group 'C' DPC.	N.A.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

N.N.MEHROTRA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.